

दूरभाष-24361852  
24366794  
24368158

संख्या - 6/2/2019-हिंशियो.(मु)

4670

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय)

Government of India

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

Hindi Teaching Scheme (HO)

7वां तल, अंत्योदय भवन,  
सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,  
नई दिल्ली - 110003  
7<sup>th</sup> Floor, Antyodaya Bhavan,  
CGO Complex, Lodi Road,  
New Delhi-110003  
दिनांक/Dated : 8.11.19

सेवा में

1. उप निदेशक (संस्थान/टंकण-पत्राचार)  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक (दक्षिण/पूर्व/पश्चिम),  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
चेन्नै/कोलकाता/मुंबई ।
3. प्रभारी सहायक निदेशक,  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
बेंगलूरु / हैदराबाद ।

विषय:- वर्ष 2020-21 के लिए गहन हिंदी भाषा प्रशिक्षण, गहन हिंदी / हिंदी टंकण-हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण एवं पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा एवं शब्द संसाधन / हिंदी टंकण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, हिंदी कार्यशालाओं तथा अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / उप संस्थानों के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, आशुलिपि, हिंदी कार्यशालाएँ तथा अन्य अल्पकालिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भाषा प्रशिक्षण संबंधी क्षेत्रीय मांग व प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 'प्रबोध' को सम्मिलित करते हुए (प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम) प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 'पारंगत' को सम्मिलित करते हुए (प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत पाठ्यक्रम) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं।

...2/-

2 तदनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों के लिए गहन हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण-आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

| क्र. सं. | प्रशिक्षण केंद्र का नाम              | भाषा : कार्यक्रम एवं लक्ष्य |                |            |            | टंकण : कार्यक्रम एवं लक्ष्य |            | आशुलिपि : कार्यक्रम एवं लक्ष्य |            |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
|          |                                      | प्रबोध समावेशी              | पारंगत समावेशी | कुल कार्य. | कुल प्रशि. | कुल कार्य.                  | कुल प्रशि. | कुल कार्य.                     | कुल प्रशि. |
| 1.       | केहिप्रसं, नई दिल्ली                 | --                          | 10             | 10         | 270        | 06                          | 180        | 02                             | 60         |
| 2.       | उप संस्थान, कोलकाता                  | --                          | 10             | 10         | 270        | 03                          | 90         | 01                             | 30         |
| 3.       | उप संस्थान, मुंबई / उप केंद्र बड़ौदा | --                          | 10             | 10         | 270        | 03                          | 90         | 01                             | 30         |
| 4.       | उप संस्थान, बंगलुरु                  | 27                          | 00             | 27         | 810        | 03                          | 90         | 01                             | 30         |
| 5.       | उप संस्थान, चेन्नै                   | --                          | --             | --         | --         | 00                          | 00         | 00                             | 00         |
| 6.       | उप संस्थान, हैदराबाद                 | 09                          | 10             | 19         | 540        | 03                          | 90         | 01                             | 30         |
| कुल      |                                      | 36                          | 40             | 76         | 2160       | 18                          | 540        | 06                             | 180        |

3. निदेश दिए जाते हैं कि वर्ष 2020-21 हेतु गहन भाषा प्रशिक्षण कैलेंडर - 'प्रबोध' को सम्मिलित करते हुए एवं 'पारंगत' को सम्मिलित करते हुए, स्थानीय मांग, प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता एवं अवकाशों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आधार पर तैयार कर निदेशक, संस्थान का अनुमोदन प्राप्त कर जारी किए जाएं।

4 वित्तीय वर्ष 2020-21 की चार तिमाहियों को अप्रैल-जून, 2020, जुलाई-सितंबर, 2020, अक्टूबर-दिसंबर, 2020 तथा जनवरी-मार्च, 2021 में विभाजित किया गया है। तदनुसार केंद्रों पर प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ तथा प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए तिमाही आधारित कार्यक्रम निम्नानुसार संचालित किये जाएं :-

**प्रबोध को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| प्रथम तिमाही | द्वितीय तिमाही | तृतीय तिमाही | चतुर्थ तिमाही | कुल कार्यक्रम / प्रशिक्षार्थी                              |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--|
| प्रबोध       | प्राज्ञ        | प्रवीण       | प्रबोध        | प्रबोध 03 कार्यक्रम  |
| प्रवीण       | प्रबोध         | प्राज्ञ      | प्रवीण        | प्रवीण 03 कार्यक्रम  |
|              |                |              | प्राज्ञ       | प्राज्ञ 03 कार्यक्रम                                       |
|              |                |              |               | कुल - 09 कार्यक्रम<br>270 प्रशिक्षार्थी प्रति सहायक निदेशक |

**नोट :-** उक्त तिमाही कार्यक्रम के अनुसार यदि प्रबोध की कक्षा का गठन न हो रहा हो तो उसके स्थान पर प्रवीण की विशेष कक्षा का गठन किया जाए और यदि प्रवीण की कक्षा का गठन भी न हो रहा हो तो प्राज्ञ की विशेष कक्षा का गठन किया जाए।

पारंगत को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम

| प्रथम तिमाही | द्वितीय तिमाही | तृतीय तिमाही | चतुर्थ तिमाही         | कुल कार्यक्रम / प्रशिक्षार्थी        |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|
| प्रवीण       | पारंगत         | पारंगत       | प्राज्ञ               | प्रवीण 03 कार्यक्रम                  |
| प्राज्ञ      | प्रवीण         | प्रवीण       | पारंगत                | प्राज्ञ 03 कार्यक्रम                 |
|              | प्राज्ञ        |              | प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत | पारंगत 03 कार्यक्रम                  |
|              |                |              |                       | 01 अतिरिक्त कार्यक्रम                |
|              |                |              |                       | कुल- 10 कार्यक्रम                    |
|              |                |              |                       | 270 प्रशिक्षार्थी प्रति सहायक निदेशक |

\*नोट:- पारंगत को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने वाले सहायक निदेशक, चतुर्थ तिमाही में प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत का एक अतिरिक्त कार्यक्रम भी चलाएंगे।

\*नोट:- इसी प्रकार यदि ऊपर पैरा - 2 में दी गई तालिका के अनुसार गहन आशुलिपि की कक्षा का गठन नहीं हो पाता है तो हिंदी आशुलिपि की एक कक्षा के स्थान पर हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की दो कक्षाओं का गठन किया जाए।

5 इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में निम्नलिखित पत्राचार पाठ्यक्रमों, हिंदी कार्यशालाओं तथा अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उनमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों का लक्ष्य भी निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

| पाठ्यक्रम | भाषा पत्राचार | टंकण पत्राचार | कार्यशालाएं | अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम |              |
|-----------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| कार्यक्रम | 01            | 02            | 15          | अभिमुखीकरण                         | 02 कार्यक्रम |
| प्रतिभागी | 4000          | 1000          | 450         | प्रशिक्षकों के लिए                 | 01 कार्यक्रम |
|           |               |               |             | पुनश्चर्या                         | 04 कार्यक्रम |

\*नोट :- अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य प्रतिभागियों के नामन पर आधारित होगा।

6 पूर्व पृष्ठों पर दर्शाए विवरणानुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा वर्ष 2020-21 में संचालित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समेकित लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम  | प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या |
|---------|--|---------------------------------|------------------------|
| 1.      | गहन हिंदी भाषा प्रशिक्षण                                   | 76                              | 2160                   |
| 2.      | गहन हिंदी कार्यशालाएं                                      | 15                              | 450                    |
| 3.      | अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण                                   | 07                              | नामन पर आधारित         |
| 4.      | पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण                       | 01                              | 4000                   |
| 5.      | गहन हिंदी टंकण   | 18                              | 540                    |
| 6.      | गहन हिंदी आशुलिपि  | 06                              | 180                    |
| 7.      | पत्राचार द्वारा हिंदी शब्द संसाधन/<br>हिंदी टंकण प्रशिक्षण | 02                              | 1000                   |

7 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों में गत सत्रों के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों की समीक्षा में देखा गया है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों के कुछ केंद्रों पर गहन हिंदी कक्षाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नामांकन/दाखिला नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में निदेशक (संस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितंबर, 2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नामांकन प्राप्त न होने वाले केंद्रों पर तैनात सहायक निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाओं का संचालन करेंगे। इसके अनुपालन में उप संस्थान पुदुचेरी के 01, चेन्नै के 03, हैदराबाद / सिकंदराबाद के 02 तथा बेंगलुरु के 01 सहायक निदेशक अर्थात् कुल 07 सहायक निदेशक हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होने वाले सत्र की कक्षाओं का संचालन करेंगे। इनके लिए लक्ष्य भी वहीं निर्धारित किए गए हैं।

8 उप संस्थानों से संबंधित सभी उप निदेशकों एवं प्रभारी सहायक निदेशकों को निदेश दिए जाते हैं कि वे उपर्युक्त तालिका में दर्शाए अनुसार गहन प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत की कक्षाओं का संचालन करें। चूंकि उपर्युक्त लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित हैं, अतः उक्त पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रथम तिमाही 01 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होगी।

9 उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति का संपूर्ण दायित्व संबंधित प्रभारी सहायक निदेशकों एवं उप निदेशकों का है। सभी उप संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित क्षेत्रों के उप निदेशकों को सौंपा गया है, अतएव सभी उप निदेशक उप संस्थानों में कार्यरत सहायक निदेशकों को दिशा-निर्देश देते हुए उनके कार्य का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रशिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्याओं का समाधान भी करेंगे एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखेंगे ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा उप संस्थानों के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले गहन हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत), हिंदी कार्यशालाओं, अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गहन हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण - हिंदी आशुलिपि एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों (हिंदी भाषा/हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण) के गठन के बाद एक सप्ताह के अंदर सहायक निदेशकवार विभिन्न कक्षाओं में नामांकन की स्थिति से निदेशक (संस्थान) को अवगत कराना आवश्यक है। संस्थान/उप संस्थानों के प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने पर निष्पादन रिपोर्ट भेजना भी अनिवार्य है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा विभाग को यथासमय भेजी जा सके। साथ ही, संबंधित उप निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक अपने-अपने संस्थान/उप संस्थान की उपर्युक्त रिपोर्टें यथासमय भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण से संबंधित प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का डाटा प्रणाली में सही एवं समय पर भरना सुनिश्चित करवाएँ।

यह पत्र निदेशक (संस्थान) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीया

*S. M. L.*  
6.11.19

(सुमन लाल)

प्रभारी निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी भवन-II, नई दिल्ली।
2. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), (मध्योत्तर में तैनात), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केहिप्रसं, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
6. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (भाषा-I एवं II), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।